16/11/14

वकुलाम जारीकर्ता उपस्थित प्रार्थी व प्रार्थी को अवगत कराया गया। बाद का अवकाश दिवस के पश्चात न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने से अभियोजन साक्ष्य अपूर्ण अर्थात हुआ खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल फैसला शुमार होकर नस्ती से बन्द हो।

उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना